न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 11/2016

श्री रामकिशन पुत्र जोरा जाति दरोगा निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री भियांराम चौधरी — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी — राजकीय अभिभाषक

दिनांक :–28.02.2017

आदेश

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुण्डोती के खसरा सं0 306 रकबा 96–11–00 बीघा में से रकबा 01–00–00 बीघा भूमि पर नाजायज रूप से बाड लगाकर अतिक्रमण किये जाने की पटवारी हल्का मुण्डोती की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार किशनगढ द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अपीलान्टस का कथन है कि खसरा नं0 306 चारागाह भूमि पर कभी भी उनका कब्जा नहीं किया एवं ना ही उनको कभी बेदखल किया गया। अपीलान्ट का खसरा नं0 26/2 पर कब्जा काश्त नियत है। अपीलान्ट की पूर्वजो के समय से चली आ रही कब्जा काश्त आराजी पर चारो ओर वर्षो पुरानी मेड व डोल बनी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये बिना, राजनैतिक द्वेषतावश अपीलान्टस के विरूद्ध बेदखली का विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.8.2015 को पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट के इसी निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष को सुना गया।

सर्वप्रथम रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया जिसकी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी। उक्त आदेश की आड में अप्रार्थी के कर्मचारी विवादित भूमि पर आये तब उनके द्वारा आदेश की जानकारी दिये जाने पर तहसील कार्यालय से जानकारी कर नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा जानकारी बाद अपील प्रस्तुति में कोई लापरवाही नहीं की है, जो विलम्ब हुआ वह सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमावें। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये

28/2/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई। अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस दौरान अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मुण्डोती के खसरा सं0 306 रकबा 96–11–00 बीघा में से रकबा 01–00–00 बीघा भूमि पर नाजायज रूप से बाड लगाकर अतिक्रमण किये जाने की पटवारी हल्का मुण्डोती की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार किशनगढ द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 5.8.2015 को बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित कर दिये। खसरा नं0 306 चारागाह भूमि पर कभी भी उनका कब्जा नहीं रहा एवं ना ही उनको कभी बेदखल किया गया। खसरा नं0 26 पर वे जागीरी के समय से काबिज खुदकाश्त चले आ रहें है। खसरा संख्या 26 के एक भाग को अपीलान्ट को खातेदारी दे दी आरे दूसरे भाग को चारागाह दर्ज कर दिया। प्रार्थी/अपीलान्ट का खसरा नं0 26/2 पर कब्जा काश्त नियत है। अपीलान्ट की पूर्वजो के समय से चली आ रही कब्जा काश्त आराजी पर चारो ओर वर्षो पुरानी मेड व डोल बनी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये बिना, राजनैतिक द्वेषतावश अपीलान्टस के विरूद्ध बेदखली का विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। आक्षेपित निर्णय प्राकृतिक न्याय, विवेक एवं सद्भाव के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.08.2015 निरस्त फरमाया जावें।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है जिनके आधार पर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें। राजकीय चारागाह भूमि रकबा 01–00–00 बीघा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप ही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2015 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.02..2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner